



ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು  
मुफ्त में दिया जायेगा  
SUPPLIED FREE OF COST

फॉर्म 31  
FORM 31

### अनुदेश / INSTRUCTIONS (FORM 31)

निधि का सदस्य नीचे दर्शित निकासियाँ / अग्रिम ले सकता है।

A member of the fund may avail the following withdrawals/advance

जो सदस्य अपनी बचत खाता में भुगतान कराना चाहते संलग्न ई.सी.एस. अधिदेश प्रारूप भर कर प्रस्तुत करें। वे अपनी चेक की फोटो प्रति अथवा एक खाली रद्द चेक अथवा बैंक द्वारा प्रमाणित अधिदेश प्रारूप प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे डाक/जमा देरी हटायी जा सकेगी तथा बचत खाते में शीघ्र जमा किया जाएगा।

Member who opt for payment by crediting in their Bank S.B. A/c. may furnish the enclosed E.C.S. Mandate form. They can either enclose a photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque or a certificate from their Bank as furnished in the Mandate form. This will avoid postal delays and clearance delays and expedite the credit to the member's S.B. account.

दावों के समर्थन में कोष्ठक में दिए गए निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाए।

The following documents to be furnished in support of the application are given in brackets

1. आवासीय साईट/आवासीय मकान / फ्लैट खरीदने/भवन निर्माण/सदस्य/पत्नी द्वारा निजी मकान अथवा दोनों के संयुक्त रूप से अपनाये मकान को बढ़ाना/मरम्मत आदि के लिए  
(घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करना जिसमें जायदाद के विवरण मालिक का नाम, पता, अधिकार की स्थिति, स्थानीय प्राधिकारियों/नगरीय विकास प्राधिकारियों के अनुमोदन दिया गया हो। यदि कोई संदेह नजर आये तो अन्य दस्तावेज सबूत देने होंगे।  
Purchase of a Dwelling site / Purchase of a Dwelling Housing/Flat/ Construction of a House : Additions, Alterations or improvement to the House owned by member or by spouse or jointly member & spouse (Declaration form duly furnishing the details of property, name of the owners, address status about encumbrance, approval from local authorities/urban development authorities etc. in case of doubtful cases of mis application other documentary proof must be provided.)
2. राज्य सरकार के हाऊसिंग बोर्ड, मुनिसिपल कार्पोरेशन अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण के समान ऐसे अन्य संस्थान के भवन निर्माण ऋण वापस करने के लिए  
(भवन निर्माण के लिए वित्तीय सहाय देने की ऐसी एजेंसी का प्रमाण - पत्र संलग्न करें जिसमें ऋण का विवरण हो तथा स्पष्ट किया हुआ हो कि केवल मकान निर्माण के लिए ही ऋण दिया गया है और कितनी राशी बाकी है आदि विवरण स्पष्ट किया हुआ हो)  
Repayment of the housing loan to State Government Housing Board, Municipal Corporation or a body similar to Delhi Development Authority.  
(A certificate from Housing financing agency furnishing the details of Housing loan availed, loan obtained exclusively for House construction and where utilisation has been certified by the housing financing agency only is eligible for repayments and outstanding amount)
3. 54 वर्ष आयु की प्राप्ति के बाद अथवा सेवा निवृत्ति से एक वर्ष पूर्व - जो भी पहले हो  
(सदस्य की जन्म तिथि/ आयु तथा स्थापना में उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख नियोजक द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए।)  
On attainment of age of 54 years or within one year before retirement, whichever ever is later :  
(Date of birth/age of the member and due date of retirement in the Estt Concerned should be furnished by the employer)
4. हड़ताल के अलावा अन्य किसी कारणवश स्थापना का बन्द होना और तालाबन्द होने की दशा में  
(इसके पीछे दिए गए प्रमाण - पत्र 'ए' भरकर प्रस्तुत करें)  
Closure/lock-out of the factory/ establishment for reasons other than strike :  
(Furnish the certificate 'A' given overleaf)
5. हड़ताल के अलावा अन्य किसी कारणवश यदि दो महीनों से ज्यादा समय से वेतन प्राप्त न होने की दशा में  
(प्रमाण - पत्र 'बी' भरकर प्रस्तुत करें)  
Non-receipt of wages for 2 months for reason other than strike :  
(Furnish the certificate 'B' given overleaf)
6. सदस्य द्वारा उसकी बर्खास्ती अथवा सेवा से बर्खास्ती को चुनौती दी गई है/मामला कोर्ट में लम्बित है।  
(सदस्य द्वारा कोर्ट में दायर याचिका की प्रति तथा वकील द्वारा यह प्रमाण - पत्र कि मामला कोर्ट में लम्बित है, प्रस्तुत किये जायें।)  
Discharge or dismissal or retrenchment are challenged by the member the case is pending in the court of Law :  
(A copy of the petition filed by the member in the court of law and certificate from the Advocate that the case is pending in the court of law, should be furnished)
7. सदस्य की/ परिवार सदस्य की अस्वस्थता (प्रमाण - पत्र 'सी' भरकर प्रस्तुत करें)  
illness of member/family member :  
(Furnish the certificate 'C' given overleaf)